24

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

ीन अधिकारी :– स्वाति गुप्ताआर.ए.एस.
व वाद संख्या :–182/2024
सुखदेव सिह पुत्र बचनसिह जाति कुम्हार सिख निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

– – वादी

बनाम

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ।

– – प्रतिवादी

ावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. व 136 एल.आर.एक्ट घोषणा व दुरूस्ती

डिक्री दिनांक :– 04.09.2024

वादी की ओर से श्री करनैलसिह अधिवक्ता की व पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 04.09.2024 को स्वाति गुप्ताआर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि चक नम्बर 10 एस.बी.एन. के जमाबन्दी संवत् 2075 ता 78 के खाता संख्या 66/59 में दर्ज संयुक्त खाता में दर्ज वादी का नाम बलदेवसिह पुत्र बचनसिह के स्थान पर वादी का नाम सुखदेवसिह पुत्र बचनसिह दर्ज कर राजस्व अभिलेख दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 04.09.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

मुहर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राज.) टिब्बी

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

Scanned with OKEN Scanner